नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 109/2018 (नया नं0) पुराना नं0 71/2015

1. बिलास उर्फ बलस्या पुत्र श्री कल्याण जाति मीणा निवासी मोरण तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।

अपीलांट

बनाम

1. प्रेमचंद पुत्र श्री मूलचंद जाति जैन निवासी मोरण तहसील बौंली हाल निवासी नहर रोड, शुक्ल कॉलोनी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बौंली जिला सवाई माधोपुर।
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा मित्रपुरा, तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली मु0न0 63/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2015)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की और से श्री रघुनन्दन सिंह
2. रेस्पो0 की और से श्री पारस मल जैन

निर्णय दिनांक: **18.02.2021**

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के तहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली के मु0न0 63/2010 डिक्री एवं निर्णय दिनांक 25.07.2015 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/रेस्पो0 ने एक वाद पत्र दावा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 बाबत दावा उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा, इस आशय का पेश किया कि ग्राम मोरन की तहसील बौंली की खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2000 से 2023 की खाता संख्या 09 में खसरा नम्बर 335/3 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/4 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 335/5 रकबा 10 बीघा, कुल 03 किता रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी के पिता मूलचंद पुत्र गणेश लाल जाति महाजन निवासी मोरन के नाम दर्ज थी जिस पर हमारा कब्जा चला आ रहा था तथा इन्हीं नम्बरों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड के नक्शें में तीनों नम्बरों की पृथक–पृथक तरमीम हो रही थी। उक्त भूमि मूलचंद से रेस्पो0/वादी के खातेदारी में आ गयी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चालू जमाबन्दी सम्वत् 2050 से सम्वत् 2053 में रेस्पो0/वादी के खातेदार दर्ज है। रेस्पो0/वादी का कहना है कि वर्तमान में सेटलमेंट हुआ। रेस्पो0/वादी के खेता ख.नं. 335/3, 335/4, 335/5 कुल 03 किता की 21 बीघा 10 बिस्वा के नये नम्बर ख.नं. 475 रकबा 1.01 है0, ख.नं. 482 रकबा 0.60 है0, ख.नं. 1266 रकबा 1.12 है0, ख.नं. 1269 रकबा 0.73 है0, ख.नं. 1277 रकबा 1.76 है0, ख.नं.1275/2369 रकबा 0.22 है0 बने हुये है जो रकबा 5.44 है0 बनाया है जिसमें सेटलमेंट विभाग ने रकबा सही दर्ज किया है परन्तु खेतों का स्थान परिवर्तित कर दिया है जो गलत है। रेस्पो0/वादी का यह भी कहना है कि नक्शे में जिस स्थान पर ख.नं. 335/3, 335/4, 335/5 की भूमि दर्ज है उस स्थान पर नये ख.नं. 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1264, 1265, 1272, 1273, 1274, 1275 एवं 1276 बना दिये है। कुल 24 किता का 3.79 है0। ख.नं. 475, 1266, 1269 का भाग नये नम्बर के रूप में सेटलमेंट विभाग ने दर्ज किये है जबकि सेटलमेंट विभाग ने ख.नं. 335/3, 335/4, 335/5 के स्थान पर 475, 482, 1266, 1269, 1277, 1275,/2369 कुल 06 किता की 5.44 है0 बनाये है जिसमें से नये ख.नं. 1277 पर कभी वादी का कब्जा नहीं रहा है। रेस्पो0/वादी का अपने वादपत्र में यह भी कहना है कि ख.नं. 335/3, 335/4, 335/5 के स्थान पर उसी जगह भूमि में नये ख.नं. 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1264, 1265, 1272, 1273, 1274, 1275 एवं 1276 कुल किता 24 सम्पूर्ण व ख.नं. 482, 475, 1266, 1269 में आंशिक भूमि लेते हुये नया नक्शा सेटलमेंट विभाग को तैयार करना चाहिये था परन्तु सेटलमेंट विभाग ने रेस्पो0/वादी की उक्त भूमि कुल 24 किता रकबा 3.79 है0 को अपीलांट/प्रतिवादी बिलास की खातेदारी में दर्ज कर दी जो हमारी भूमि के स्थान पर दर्ज कर दी गई। रेस्पो0/वादी की भूमि की पुराने सेटलमेंट के समय संवत् 2009 के समय से ही राजस्व नक्शे में तरमीम मौजूद थी जिसका पहले सेटलमेंट विभाग का पर्चा जारी किया हुआ था तथा उसी अनुसार 50–55 वर्षो से राजस्व रिकार्ड चला आ रहा था। इस सेटलमेंट में सेटलमेंट विभाग को स्थान परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं था तथा रेस्पो0/वादी को ऐसी भूमि दी है जिस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा व अधिकार पहले कभी नहीं रहा है। इसी प्रकार ख.नं. 1263 सिवायचक के रूप में हमारी भूमि में दर्शा दी गयी है। इससे पूर्व रेस्पो0/वादी को कोई सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर भी नहीं दिया गया था। सेटलमेंट के दौरान कच्चे पर्चे आये तब रेस्पो0/वादी ने सेटलमेंट विभाग में भी अपील की एवं कार्यवाही की जिसका अन्तिम निस्तारण नहीं हुआ इससे पहले ही सेटलमेंट समाप्त हो गया। इस कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। जब रेस्पो0/वादी ने अपीलांट/प्रतिवादी से तहसील कार्यालय में जाकर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरूस्ती ठीक करवाने बाबत् कहा तो प्रतिवादी ने राजस्व रिकार्ड को ठीक करवाने से साफ इंकार कर दिया। इसलिए यह वादपत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ एवं वादी ने वादपत्र अपीलांट/प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 18:03:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इरतदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील के वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतो के विपरीत होने से मंसूख किये जाने योग्य है। दिनांक 25.07.2015 को फोलोअप कैम्प बावत अपीलांट को कोई नोटिस जारी नही किया गया था जबकि आगामी पेशी दिनांक 26.08.2015 नियत थी, ऐसी स्थिति में पत्रावली को निर्धारित तिथि से पूर्व सुनवाई हेतु फोलोअप कैम्प में नियत करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित था। रेस्पो0 द्वारा वादपत्र वास्ते उदघोषण खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था, इसके पश्चात् दिनांक 25.07.2015 को नक्शे में गलत तरमीम को शुद्व करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 में नक्शे में तरमीम दुरूस्ती बाबत् कोई प्रावधान नहीं है फिर भी फोलोअप कैम्प में तरमीम दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र जो भू राजस्व अधिनियम से सम्बंधित था, पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के तहत निर्णय व डिक्री जारी कर दिये गये। तरमीम में दुरूस्ती करने हेतु धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम से संबंधित सभी कानूनों को मिश्रित करते हुये रेस्पो0 को कानून से परे जाकर अवांछित लाभ प्रदान करने की गरज से आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त होने योग्य है। वादपत्र में रेस्पो0 द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई थी जैसा कि आर्डरशीट दिनांक 09.04.2015 के अनुसार प्रकरण वास्ते रेस्पो0 साक्ष्य हेतु नियत था। आगामी पेशी दिनांक 14.05.2015 में ग्राम मोरण में लोक अदालत का आयोजन होने से दिनांक 09.07.2015 को उभयपक्ष को उपस्थित होने बाबत अंकन किया गया था, तत्पश्चात दिनांक 09.07.2015 की आर्डरशीट में पक्षकारान राजीनामा हेतु सहमत नहीं होने से पत्रावली दिनांक 26.08.2015 को नियत की गई थी लेकिन अपीलांट को नोटिस जारी किए बिना ही दिनांक 25.07.2015 को फोलोअप कैम्प बौंली में रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पुटअप [illegible] निर्णित कर दी गयी। रेस्पो0 साक्ष्य के अभाव में रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित नही किया गया था जिसके अभाव में कोई भी दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं था। रेस्पो0 द्वारा वादपत्र में दौराने वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर प्रेमचन्द पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर वल्दियत परिवर्तित कर प्रेमचन्द पुत्र मूलचन्द दर्ज करवाया गया है, जबकि रेस्पो0 के पिता का नाम रामचन्द्र है तथा मूलचन्द रेस्पो0 के नाना का नाम है। गैरकानूनी रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रेस्पो0 के नाम प्रेमचन्द पुत्र मूलचन्द के नाम से वादपत्र डिक्री किया गया है, जो काबिल निरस्त योग्य है। इस कारण निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2015 अपास्त फरमाया जावे।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब बहस मे तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम मोरन की तहसील बौंली की खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2009 से 2023 की खाता सं. 09 में खसरा नम्बर 335/3 रकबा 07 बीघा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 335/4 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 335/5 रकबा 10 बीघा कुल 03 किता की 21 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पो0 के पिता मूलचंद पुत्र गणेश लाल जाति महाजन निवासी मोरन के नाम दर्ज थी जिस पर हमारा कब्जा चला आ रहा था। तथा इन्हीं नम्बरों के अनुसार राजस्व रिकार्ड के नक्शें में तीनों नम्बरों की पृथक–पृथक तरमीम हो रही थी। उसी समय से सम्वत् 2009 से ही राजस्व नक्शे में तरमीम हो रही थी तथा किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। उक्त भूमि मूलचंद से रेस्पो0 के खातेदारी में आ गयी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चालू जमाबन्दी सम्वत् 2050 से सम्वत् 2053 में रेस्पो0 खातेदार दर्ज है। सेटलमेंट होने के पश्चात् रेस्पो0 के खेत ख.नं. 335/3, 335/4, 335/5 कुल 03 किता की 21 बीघा 10 विस्वा के नये नम्बर ख.नं. 475 रकबा 1.01 है0, ख.नं. 482 रकबा 0.60 है0, ख.नं. 1277 रकबा 1.12 है0, ख.नं. 1269 रकबा 0.73 है0, ख.नं. 1277 रकबा 1.76 है0, ख.नं.1275/2369 रकबा 0.22 है0 बने हुये है जो रकबा 5.44 है0 बनाया है जिसमें सेटलमेंट विभाग ने रकबा सही दर्ज किया है परन्तु खेतों का स्थान परिवर्तन कर दिया है जो गलत है। नक्शें में जिस स्थान पर ख.नं. 335/3, 335/4, 335/5 की भूमि दर्ज है उस स्थान पर नये ख.नं. 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1264, 1265, 1272, 1273, 1274, 1275 एवं 1276 बना दिये है। कुल 24 किता का 3.79 है0। ख.नं. 475, 1266, 1269 का भाग नये नम्बर के रूप में सेटलमेंट विभाग ने दर्ज किये है जबकि रेस्पो0 की सेटलमेंट विभाग ने ख.नं. 335/3, 335/4, 335/5 के स्थान पर 475, 482, 1266, 1269, 1277, 1275,/2369 कुल 06 किता की 5.44 है0 बनाये है जिसमें से नये ख.नं. 1277 पर कभी रेस्पो0 का कब्जा नहीं रहा है तथा शेष नये नम्बरों पर रेस्पो0 का आंशिक कब्जा है। ख.नं. 335/3, 335/4, 335/5 के स्थान पर उसी जगह भूमि में नये ख.नं. 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1264, 1265, 1272, 1273, 1274, 1275 एवं 1276 कुल किता 24 सम्पूर्ण व ख.नं. 482, 475, 1266, 1269 में आंशिक भूमि का नया नक्शा सेटलमेंट विभाग को तैयार करना चाहिये था परन्तु सेटलमेंट विभाग ने उक्त भूमि में कुल 24 किता रकबा 3.79 है0 भूमि को अपीलांट बिलास की खातेदारी में दर्ज कर दी तथा रेस्पो0 को आस पास की भूमि जोडते हुये ख.नं. 482, 475, 1266, 1269, 1275/2369 व एक नम्बर पृथक 1277 बनाते हुये हमारी भूमि की पूर्ति कर दी गयी है जो गलत है। रेस्पो0 की भूमि की पुराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सेटलमेंट के समय संवत् 2009 के समय से ही राजस्व नक्शे में तरमीम मौजूद थी तथा उसी अनुसार 50-55 वर्ष से राजस्व रिकार्ड चला आ रहा था। इस सेटलमेंट में सेटलमेंट विभाग को स्थान परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था तथा रेस्पो0 को ऐसी भूमि दी है जिस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा व अधिकार पहले कभी नहीं रहा है। इसी प्रकार ख.नं. 1263 सिवायचक के रूप में हमारी भूमि में दर्शा दी गयी है। इससे पूर्व रेस्पो0 को कोई सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर भी नहीं दिया गया था। सेटलमेंट के दौरान कच्चे पर्चे आये तब रेस्पो0 ने सेटलमेंट विभाग में भी अपील की एवं कार्यवाही की जिसका अन्तिम निस्तारण नहीं हुआ इससे पहले ही सेटलमेंट समाप्त हो गया। इस कारण कार्यवाही ड्रोप कर दी गई थी। सेटलमेंट में जगह परिवर्तन होने वाली जगह पर रेस्पो0 का नक्शा अनुसार कब्जा एवं अधिकार चल रहा था तथा उसी अनुसार नया रिकार्ड तैयार होना था परन्तु सेटलमेंट विभाग ने गलती की है जो दुरूस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाये एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत् रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो0 सं0 01/वादी द्वारा वाद संख्या 63/2010 अधिनस्थ न्यायालय में बाबत उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद–प्रतिवाद (जवाब दावा) के आधार पर दिनांक 23.07.2014 को तनकीयात कायम की गयी व पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गयी है। दिनांक 14.05.2015 को उभयपक्ष को लोक अदालत में 09.07.2015 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया। दिनांक 09.07.2015 को समझाईश राजीनामा से प्रकरण के निस्तारण के लिए सहमत नही होने से पत्रावली में दिनांक 26.08.2015 नियत की गयी थी। दिनांक 25.07.2015 को पत्रावली फॉलोअप कैम्प में रखी गयी। इसकी विधिवत सूचना अपीलार्थी को दी गयी ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही हैं। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं लिये गये है, न ही उनको सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2015 में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। इसी अनुरूप डिक्री जारी की गयी है, बिना साक्ष्य का अवसर प्रदान किये व प्रतिवादी को सुने बिना निर्णय किया जाना विधि संगत नहीं है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2015 में विधिक त्रुटी दृष्टव्य होती है। अतः प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का मु0नं0 63/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2015 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण विचारणीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवायी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

समुचित अवसर दिया जाकर विधिक रूप से निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौंली के यहाँ दिनांक 25.03.2021 को उपस्थित होवे।

8. निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.2.21

(वी.एल.रमण)

राजस्व अपील प्राधिकारी

सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner